

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) परम निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

एक छिड़की केवल आवासीय उपयोगार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

संकेत क्रमांक 671 दिनांक 13/08/2020

पती +

श्री जयम चन्द चौहान डा० श्री शिवराम चौहान

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

के तहत खारैर संख्या 25 कम्पला

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर नगर कार जयम किरार संख्या 3

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8245/- जमा

करिये रसीद संख्या 9062/1190, 112

दिनांक 13/08/2020 को जमा करा दी है ।

14/8/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Received
Chauhan

9829994313

जयम चंद चौहान